पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1670
दिनांक-15.07.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना गोमतीनगर व सर्विलांस टीम पूर्वी जोन की संयुक्त कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.5.2025 को आगन्तुका/वादिनी के प्रा0 पत्र बावत – प्रतिवादी द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने विषयक प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0219/2025 धारा- 69 बीएनएस बनाम- राजकुमार मौर्या नि0 छपरा थाना स्वार जिला रामपुर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री सूर्यसेन सिंह थाना गोमती नगर लखनऊ के पंजीकृत को प्राप्त हुयी थी । उ0नि0 श्री सूर्यसेन सिंह के स्थानान्तरण के पश्चात उक्त विवेचना उ0नि0 श्री राजन केसरी द्वारा की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 14.7.2025 को पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त राजकुमार मौर्या पुत्र कोमल सिहं निवासी ग्राम व पोस्ट छपर्रा थाना स्वार जनपद रामपुर उ0प्र0 उम्र 33 वर्ष को ग्राम छपर्रा थाना स्वार जनपद रामपुर के पास स्थित चौराहे से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पीडिता/वादिनी मुकदमा से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर वादिनी का शारीरिक शोषण किया गया जब वादिनी द्वारा शादी करने के लिये कहा गया तो अभियुक्त राजकुमार द्वारा मना कर दिया गया । अभियुक्त कई दिनों से फरार चल रहा था ।

पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1- राजकुमार मौर्या पुत्र कोमल सिहं निवासी ग्राम व पोस्ट छपर्रा थाना स्वार जनपद रामपुर उ0प्र0 उम्र 33 वर्ष

04- आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त-

1- मु0अ0सं0 219/2025 धारा 69 बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।-

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया सर्विलांस टीम प्रभारी पूर्वी जोन
3- उ0नि0 श्री राजन केसरी थाना गोमतीनगर लखनऊ
4- हे0का0 संदीप पाण्डेय सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
5- का0 शिवानन्द खरवार सर्विलांस टीम पूर्वी जोन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1671

दिनांक-15.07.2025

जोन - दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **नाबालिक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाला 01 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की कार्यवाही।**

01-कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त, कृष्णानगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा नाबालिक किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला पॉक्सो एक्ट में वाँछित 01 नफर शातिर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-11.07.2025 को वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर **मु0अ0सं0-0337/2025 धारा 74/351(3) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ** बनाम शिवम यादव पुत्र दिवाकर यादव पता अज्ञात, बावत नामित अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष के साथ घर पर अकेला पाकर छेड़छाड़ करने/अश्लील हरकते करने व बेटे को जान से मरवाने व झूठी धाराओं में मुकदमा लिखाने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया है।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण विवेचक द्वारा अभियुक्त शिवम यादव की सुरागरसी पतारसी कर आज दिनांक 15.07.2025 को समय 09.20 बजे डीआरएम चौराहा कनौसी से हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त शिवम यादव उपरोक्त वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष की रैकी कर अकेले की स्थिति में छेड़खानी करना, मना करने व भाई से बताने की बात कहे जाने पर जान माल की धमकी देते हुये झूठी धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की धमकी देना।

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-0337/2025 धारा 74/351(3) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1. शिवम यादव पुत्र दिवाकर यादव निवासी साई चौराहा ओशोनगर कनौसी थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष।
   - **शिक्षा-12th**
   - **व्यवसाय-** विद्यार्थी।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- कोतवाली कृष्णानगर, पुलिस टीम कमि0 लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1668

दिनांक-15.07 2025

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

- **बन्द पडे मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **पीजीआई के डाक्टर के बन्द पड़े मकान को चिन्हित कर की थी चोरी।**
- **अभियुक्तो से कब्जे से चोरी की एक्सेन्ट कार, लैपटॉप, टेबलेट, डेस्कटॉप, कीमती आभूषण व घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार बरामद करते हए चोरी के सामान की शतप्रतिशत बरामदगी की गयी।**
- **थाना पीजीआई, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त टीम की सफलता।**

कार्यवाही विवरण-

थाना पीजीआई, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त टीम की बन्द पड़े मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 शातिर अभियुक्तों **1. सोनू सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह उम्र 26 वर्ष** निवासी हालपता नादरगंज पुरानी चौकी के पीछे गिन्दनखेड़ा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ **मूलपता ग्राम पजरांव थाना नुंआव जनपद कैमूर बिहार 2. अनुराग कुमार सिंह पुत्र रामदत्त सिंह** उम्र करीब 20 वर्ष मूलपता ग्राम पजरांव थाना नुंआव जनपद कैमूर बिहार **3. शक्तिमान सिंह पुत्र विजयशंकर सिंह** उम्र 26 वर्ष निवासी हालपता नादरगंज पुरानी चौकी के पीछे गिन्दनखेड़ा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ मूलपता ग्राम पजरांव थाना नुंआव जनपद कैमूर बिहार को आज दिनांक 15.07.2025 को **किसान पथ के नीचे डलौना रेलवे अन्डरपास** से गिरफ्तार करते हुए चोरी के शत-प्रतिशत माल की बरामदगी करते हुए चोरी में प्रयुक्त स्कार्पियो कार की गयी बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

- दिनांक- 12.07.2025 को वादी श्री प्रियवृत शुक्ला निवासी सेक्टर-ए, एल्डीको 2 रायबरेली रोड लखनऊ द्वारा थाना पीजीआई पर लिखित तहरीर द्वारा अवगत कराया कि वे अपने परिवारजनों के साथ पिछले बीस दिनों से घर से बाहर थे। दिनांक 12.07.2025 को रात्रि करीब 01 बजे अज्ञात व्यक्तियो द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर घर में खडी एक्सेन्ट कार UP32GB5655, ज्वैलरी, टेबलेट, लैपटॉप, फोन, डेक्सटॉप कम्प्यूटर, टीबी, बैट्री चोरी कर ले गये।
- वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0- 344/2025 धारा- 305/331(4) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया। जिसमें सर्विलांस सेल दक्षिणी को भी लगाया गया। इन टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरान्त सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यो के आधार पर घटना में शामिल 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

3.अनुराग कुमार सिंह पुत्र रामदत्त सिंह उम्र करीब 20 वर्षः-

1. मु0अ0स0 344/2025 धारा 305/331(4)/317(2) थाना पीजीआई लखनऊ

बरामदगीः-

01 अदद एसेन्ट कार संख्या UP32GB5655	01 अदद स्कार्पियो कार संख्या UP32BV3373 (घटना मे प्रयुक्त)
01 अदद एल ई डी टीवी	02 अदद लैपटाप
02 अदद टैबलेट	02 अदद मोबाइल फोन
04 अदद आधार कार्ड	01 अदद लैपटांप चार्जर
01 अदद डेस्क टाप	01 अदद सीपीयू
एक मोटा व एक पतला कंगन	10 चूडी सुनहरे रंग
02 कान की झाला सुनहरा रंग	01 मंगलसूत्र
02 अदद कान के टोप्स	02 कान के झाले
एक मांग टीका	एक हाथ का हाथमाला
1अदद बैट्री	

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना पीजीआई एवं सर्विलांस टीम, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम।

नोटः- श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम उत्साहवर्धन हेतु 25 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण नाम पता व व्यवसाय-

1.प्रिंस यादव पुत्र धर्मराज यादव,नि0 टिकरा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा उम्र करीब 19 वर्ष, (सिक्योरिटी गार्ड)

2.शैलैन्द्र यादव पुत्र धीरेन्द्र यादव,नि0 धर्मापुर, थाना पूरवा, जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष,(सिक्योरिटी गार्ड)

3.सूरज पुत्र रामशंकर नि0 पिपरौली साउथ सिटी, थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष, (सेटरिंग)

अभियुक्तगणो से बरामदगी-

1. UP32JZ3732 मोटर साइकिल
2. UP32 HY4915 मोटर साइकिल
3. UP 67A1306 मोटर साइकिल
4. UP78CE0177मोटर साइकिल
5. UP44AF4986मोटर साइकिल
6. UP32GW6537मोटर साइकिल
7. UP32KF4107मोटर साइकिल

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

सूरज पुत्र रामशंकर नि0 पिपरौली साउथ सिटी, थाना पीजीआई लखनऊ

1.मु0अ0सं0- 243/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ

2.मु0अ0सं0- 364/2023 धारा 279/411 भादवि थाना अजगैन जनपद उन्नाव

3.मु0अ0सं0- 349/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

4.मु0अ0सं0- 329/2025 धारा 329/202(5)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

5.मु0अ0सं0- 350/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

6.मु0अ0सं0- 353/2025 धारा 317(2)315(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

प्रिंस यादव पुत्र धर्मराज यादव,नि0 टिकरा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा

1.मु0अ0सं0- 349/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

2.मु0अ0सं0- 329/2025 धारा 329/202(5)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

3.मु0अ0सं0- 350/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

4.मु0अ0सं0- 353/2025 धारा 317(2)315(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

शैलैन्द्र यादव पुत्र धीरेन्द्र यादव,नि0 धर्मापुर, थाना पूरवा, जनपद उन्नाव

1.मु0अ0सं0- 349/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

2.मु0अ0सं0- 329/2025 धारा 329/202(5)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

3.मु0अ0सं0- 350/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

4.मु0अ0सं0- 353/2025 धारा 317(2)315(5) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थाना पीजीआई पुलिस टीम

नोटः- श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम उत्साहवर्धन हेतु 10 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1672

दिनांक-15.07.2025

जोन-उत्तरी/ थाना –रहीमाबाद

- **अपहरण के अभियोग में वांछित शातिर अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचा व दो कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम की सफलता।**

1.संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे एनबीडब्ल्यु, वांछित अभियुक्तों, पुरस्कार घोषित अपराधियों व सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग व अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने तथा अभियान के अन्तर्गत वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश के अनुपालन में व पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) महोदय लखनऊ के निर्देशन में एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद जनपद लखनऊ के कुशल नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा से वांछित अभियुक्त-

01. वीरपाल पुत्र रामशंकर यादव निवासी ग्राम रामपुर मजरा मसीढ़ारतन थाना माल जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष उपरोक्त को सम्बन्धित **मुकदमा अपराध संख्या 84/2025 धारा 140(1)/351(3) बीएनएसएस** में **ब्रह्मस्थान बाबा मंदिर के पास बहद ग्राम कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ** से समय करीब 01.55 बजे(रात्रि) बाजाफ्ता बाकायदा हिरासत पुलिस में लिया।

अभियुक्त की तलाशी पर पैण्ट की कमर में बाई तरफ एक अदद तमंचा .315 बोर तथा पैंण्ट की बाँयी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति वीरपाल उपरोक्त से कट्टा कारतूस रखने का लाईसेन्स तलब किया गया तो लाईसेन्स दिखाने से कासिर रहा। जिस सम्बन्ध में अभियुक्त वीरपाल उपरोक्त के विरूद्ध **मु0अ0सं0 107/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उ0नि0 द्वारा वांछित अभियुक्त के परिजनों को अकब से दी गयी।

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया व हमराहियान से पालन करवाया गया। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

2.गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-वीरपाल पुत्र रामशंकर यादव निवासी ग्राम रामपुर मजरा मसीढ़ारतन थाना माल जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष (व्यवसाय-खेती किसानी)।

3.बरामदगी का विवरण

- एक अदद बड़े साइज का अवैध तमंचा.315 बोर व
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

4.आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 10/2024 धारा 302/201/34 भादवि व 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना माल जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 84/2025 धारा 140(1)/351(3) बीएनएस थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

3.मु0अ0सं0 107/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

5.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 उमेश यादव

2.उ0नि0 संदीप कुमार

3.आरक्षी सिमित कुमार

4.आरक्षी देशराज

5.आरक्षी धर्मेश यादव

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/2025 धारा 304(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तगण 1. सरवन पुत्र खगेशुर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष 2. अक्षय पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पकडे गये अभियुक्तगण 1. सरवन 2. अक्षय से पूछताछ पर जानकारी हुई कि पकड़े गये दोनो व्यक्ति व अन्य दो व्यक्ति जिसका नाम प्रियांशु व सुभाष के साथ मिलकर राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनते है। बरामद चार अदद एन्ड्राइड मोबाइल क्रमशः- (1) VIVO कम्पनी पर्पल कलर IMEI NO. 864029075841670 व 864029075841662 (2) OPPO कम्पनी आसमानी कलर IMEI N0- 864921076766114, IMEI N0- 864921076766106 (3) मोटोरोला कम्पनी रंग नीला (4) वन प्लस कम्पनी आसमानी कलर के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग व सुभाष व प्रियांशु ने मिलकर दिनांक 13/07/2025 समय करीब रात्रि 09.30 बजे मोबाइल OPPO कम्पनी आसमानी कलर IMEI N0- 864921076766114, IMEI N0- 864921076766106 है इसे रेवान्टा होटल के सामने सीतापुर रोड़ से एक महिला से छीने थे उक्त के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त मुकदमा से सम्बन्धित वादिनी से मोबाइल की पहचान कराया गया । उक्त मुकदमा में बरामदगी के आधार पर 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रीम कार्यवाही की जा रही है तथा मोबाइल मोटोरोला कम्पनी रंग नीला के सम्बन्ध में बताये कि यह मोबाइल हम लोग व सुभाष व प्रियांशु ने चन्द्रिका देवी रोड़ से एक राहगीर से छीने थे जिसके सम्बन्ध में थाना बीकेटी से सम्पर्क कर जानकारी की गयी तो उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना बीकेटी में मु0अ0सं0 269/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा अन्य दो मोबाइल के सम्बन्ध में बता रहे है कि हम लोग व सुभाष व प्रियांशु ने मिलकर अलग-अलग स्थानों से राहगीरों से छीने है । जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्तगण (1)प्रियांशु (2) सुभाष पुत्रगण व निवासीगण अज्ञात की तलाश/गिरफ्तारी हेतु टीम गठीत किया गया ।

आज दिनांक 15/07/2025 को समय करीब 00.35 बजे मुखबिर खास की सूचना पर किसान पथ से सुभाष गौतम पुत्र राकेश गौतम निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बी0के0टी0 लखनऊ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसकी तलाशी से एक देशी तमंचा .315 बोर बरामद हुआ उक्त के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि उक्त तमंचा सरवन गौतम का है। जिसके द्वारा मुझको तमंचा रखने हेतु दिया गया था। उक्त तमंचे को हम लोग द्वारा लूट, छिनैती, झपट्टामारी के दौरान डराने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। मैं, प्रियांशु , सरवन, अक्षय मिलकर लूट छिनैती की घटना को अंजाम देते है। अवैध 01 अदद देशी तमंचा .315 बोट के बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/2025 धारा 3/25 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त 1. सरवन पुत्र खगेशुर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष 2. अक्षय पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष 3. सुभाष गौतम पुत्र राकेश गौतम निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बी0के0टी0 लखनऊ उम्र 22 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 82/2025 धारा 304(2)/317(5) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ व अभियुक्त सुभाष गौतम के विरूद्ध मु0अ0सं0 84/2025 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना सैरपुर लखनऊ के विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0न्यायालय भेजा गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. सरवन पुत्र खगेशुर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष (साफ सफाई का काम करता है)
2. अक्षय पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष (OYO होटल में वर्कर)
3. सुभाष गौतम पुत्र राकेश गौतम निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बी0के0टी0 लखनऊ उम्र 22 वर्ष (नगर निगम में कूड़ा की गाडी चलाता है)

03-बरामदगी:-

- 01 अदद मोबाइल फोन VIVO कम्पनी पर्पल कलर
- 01 अदद मोबाइल फोन OPPO कम्पनी आसमानी कलर
- 01 अदद मोबाइल फोन मोटोरोला कम्पनी रंग नीला
- 01 अदद मोबाइल फोन वन प्लस कम्पनी आसमानी कलर
- एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर

04-गिरफ्तार अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास-

(1) सरवन पुत्र खगेशुर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

i. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ
ii. मु0अ0सं0 82/2025 धारा 304(2)/317(5) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

(2) अक्षय पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष

i. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ
ii. मु0अ0सं0 82/2025 धारा 304(2)/317(5) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

(3) सुभाष गौतम पुत्र राकेश गौतम निवासी ग्राम हाजीपुर थाना बी0के0टी0 लखनऊ उम्र 22 वर्ष

i. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ
ii. मु0अ0सं0 82/2025 धारा 304(2)/317(5) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ
iii. मु0अ0सं0 84/2025 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

05 –अनावरित अभियोग –

1. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार गुप्ता
2. उ0नि0 श्री अनुराग गोस्वामी
3. उ0नि0 श्री राम देव
4. उ0नि0 श्री सौरभ कुमार
5. उ0नि0 श्री मोनू कुमार
6. आरक्षी अरविन्द कुमार वर्मा